प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0 प्र0,
कम्प्यूटर सेल, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 228 /1–18–2018/क0सेल/10/2004टीसी–2, दिनांक 27 जून, 2018

विषयः प्रयोक्ता प्रभार के संग्रहण एवं व्यय के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश सं0–233/1–18–2017/क0सेल/10/2004टीसी–2, दिनांक 08–08–2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कम्प्यूटरीकृत खतौनी उद्धरण वितरण से तहसीलों में प्राप्त हो रहे प्रभार के संग्रहण एवं व्यय के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. सम्यक् विचारोपरान्त उक्त परिषदादेश संख्या– 233/1–18/2017/ क0सेल/10/2004 टी0सी0–2, दिनांक 08–08–2017 के संलग्नक के बिन्दु संख्या–3.2 व 3.4.4 में एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन किया जाता है–

2.1. परिषदादेश संख्या–233/1–18/2017/क0सेल/10/2004 टी0सी0–2, दिनांक 08–08–2017 के संलग्नक के बिन्दु संख्या–3.2 के अन्तर्गत प्रत्येक तहसील कम्प्यूटर केन्द्र के लिये इन्टरकाम एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा सेटअप भी स्थापित कराये जाने का कार्य भी जोड़ा जाता है।

2.2. परिषदादेश संख्या–233/1–18/2017/क0सेल/10/2004 टी0सी0–2, दिनांक 08–08–2017 के संलग्नक के बिन्दु संख्या–3.4.4 निम्नवत संशोधित किया जाता है–

2.2.1–

	श्रेणी–1	**श्रेणी–2**	**श्रेणी–3**	**श्रेणी–4**
आवश्यकतानुसार तहसील कम्प्यूटर केन्द्र के लिये डाटा फीडिंग हेतु तकनीकी मैन पावर (कार्य के अनुसार अनुबंध के आधार पर) की व्यवस्था,	अधिकतम् रू0 70,000/–प्रति माह	अधिकतम् रू0 70,000/–प्रति माह	अधिकतम् रू0 35,000/–प्रति माह	अधिकतम् रू0 35,000/–प्रति माह

उक्त परिषदादेश में तहसीलों की श्रेणियां निम्नवत् रहेंगी–

- **श्रेणी–1 प्रतिदिन औसतन 300 से अधिक उद्धरण निर्गत करने वाली तहसीलें।**
- **श्रेणी–2 प्रतिदिन 200 से 300 उद्धरण निर्गत करने वाली तहसीलें।**
- **श्रेणी–3 प्रतिदिन 100 से 200 उद्धरण निर्गत करने वाली तहसीलें।**
- **श्रेणी–4 प्रतिदिन औसतन 100 से कम उद्धरण जारी करने वाली तहसीलें।**

श्रेणी–1 व 2 की तहसीलों हेतु अधिकतम् 04 मैनपावर व श्रेणी–3 व 4 की तहसीलों हेतु अधिकतम् 02 मैनपावर (कार्य के अनुसार अनुबंध के आधार पर) रखा जा सकता है। प्रति मैनपावर

रूपये 17,500/–का व्यय किया जायेगा। यह कार्य परिषदादेश संख्या–233/1–18/2017/क0सेल/10/2004 टी0सी0–2, दिनांक 08–08–2017 के अनुसार किया जायेगा।

2.2.2– मण्डलायुक्त के न्यायालय के लिए आवश्यकतानुसार एक तकनीकी (01) मैनपावर रखा जा सकता है। जो तकनीकी मैनपावर रखा जायेगा उस पर आने वाला व्यय मण्डल की जिस तहसील में सर्वाधिक प्रयोक्ता प्रभार प्राप्त हो रहे हो उसी तहसील से किया जायेगा। प्रति मैनपावर रूपये 17,500/– का व्यय किया जायेगा। इस संबंध में निर्णय संबंधित मण्डल के मण्डलायुक्त द्वारा लिया जायेगा।

2.2.3– जिलाधिकारी न्यायालय के लिये आवश्यकतानुसार एक तकनीकी मैनपावर (01) रखा जा सकता है। जो तकनीकी मैनपावर रखा जायेगा उस पर आने वाला व्यय, संबंधित जिलाधिकारी द्वारा जनपद की जिस तहसील में सर्वाधिक प्रयोक्ता प्रभार प्राप्त हो रहा हो उसी तहसील से किया जायेगा। प्रति मैनपावर रूपये 17,500/– का व्यय किया जायेगा। इस संबंध में निर्णय परिषदादेश संख्या–233/1–18/2017/क0सेल/10/2004 टी0सी0–2, दिनांक 08–08–2017 के द्वारा लिया जायेगा।

3. परिषदादेश संख्या–233/1–18/2017/क0सेल/10/2004 टी0सी0–2, दिनांक 08–08–2017 के संलग्नक के उपबिन्दु–3.2 व 3.4.4 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। अवशेष बिन्दु यथावत् रहेंगे। अतः तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

4. इसी कम में यह भी अनुरोध है कि परिषदादेश सं0–233/1–18/2017/क0सेल/10/2004टी0सी0–2,दिनांक 08–08–2017 के संलग्नक के उपबिन्दु–3.1.1 में तहसील स्तरीय कम्प्यूटर केन्द्र का साइट प्रिपरेशन, कृषकों/हितबद्ध व्यक्तियों के कम्प्यूटर कक्ष के बाहर बैठने हेतु शेड तथा फर्नीचर आदि, पेय जल की व्यवस्था, आपदा प्रतिपूर्ति के लिये तहसील कम्प्यूटर केन्द्र हेतु अग्नि शमन यन्त्र, धूम्र संसूचक, वातानुकूलन उपकरणों की स्थापना करने की प्राविधानित व्यस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

27/6/18

(लीना जौहरी)

आयुक्त एवं सचिव।